न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः— 24/2023 दर्ज दिनांक 08.06.2023
जी सी एम एस न0 2023/587 निर्णय दिनांकः— 12.07.2023

पाबूदान सिंह पुत्र उगम सिंह उम्र 53 वर्ष जाति राजपूत निवासी गोरधनपुरा हाल किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी।

आवेदक

बनाम

1. तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 128 भू राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थरगढी
निर्णय

निर्णय दिनांकः— 12.07.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि भूमि खसरा न. 1294/442 रकबा 1.78 है0, खसरा न. 1295/121 रकबा 0.5450 है0, खसरा न. 440 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.4450 है0 ग्राम किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि आवेद की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार उदयपुरवादी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 312 दिनांक 25.05.2023 की पालना में हल्का पटवारी किशोरपुरा द्वारा दिनांक 01.06.2023 को किया गया था। उक्त वर्णित भूमि में आवेदक पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद सीमा बाबत् उत्पन्न नहीं हो। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा न. 1294/442 रकबा 1.78 है0, खसरा न. 1295/121 रकबा 0.5450 है0, खसरा न. 440 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.4450 है0 जो ग्राम किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में स्थित है, का हल्का पटवारी किशोरपुरा द्वारा दिनांक 01.06.2023 को करवाये गये सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर तलवी वास्ते जबाबदेही दी गई। अप्रार्थी बावजूद तामील हाजिर नहीं, अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2023 के अनुसार ग्राम किशोरपुरा की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. खसरा न. 1294/442, 1295/121, 440 का मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम किशोरपुरा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 1294/442, 1295/121, 440 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। अतः प्रार्थी उक्त खसरा [illegible] पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी क[illegible] स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडढी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता हैं कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2023 के अनुसार ग्राम किशोरपुरा की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 1294/442, 1295/121, 440 कुल किता 3 कुल रकबा 2.4450 है0 में पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

12/7/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/7/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधि
उदयपुरवाटी (झुन्झु..

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:51:00 IST
Reason: SelfAttested